

CHHATTISGARH STATE POWER DISTRIBUTION COMPANY LTD.

Office of The Chief Engineer (Trg-R&D), Gudhiyari, Raipur (C.G.)

(Government of Chhattisgarh Undertaking)

CIN: U40108CT2003SGC015822

Telephone: 0771-2574230, 2574266, Fax: 0771-2574032

Website: www.cspc.co.in e-mail: cetr.cspdc@cspec.co.in



क्रमांक 02-06/TA-27/SE/1266

रायपुर, दिनांक 30.09.21

विज्ञापन

अप्रेन्टिसशिप एक्ट, 1961 (as amended in 1973, 1986 & 2014) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए निम्नलिखित संकायों में प्रशिक्षुओं को एक (01) वर्षीय अप्रेन्टिसशिप (Apprenticeship) की व्यवस्था की गई है :-

(1) ग्रेजुएट अप्रेन्टिस :-

क्र०	विषय (संकाय)	शिक्षु की संख्या	शैक्षणिक योग्यता	शिक्षुवृत्ति की दर
1	Electrical/EEE इंजीनियरिंग में स्नातक	43	मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय से संबंधित संकाय में इंजीनियरिंग/ टेक्नॉलजी में स्नातक	रु. 9000/- प्रतिमाह
2	Civil इंजीनियरिंग में स्नातक	03		
3	Computer Sc. इंजीनियरिंग में स्नातक	01		
4	Information & Technology इंजीनियरिंग में स्नातक	01		
योग:-		48		

(2) डिप्लोमा अप्रेन्टिस :-

क्र०	विषय (संकाय)	शिक्षु की संख्या	शैक्षणिक योग्यता	शिक्षुवृत्ति की दर
1	Electrical/EEE इंजीनियरिंग में डिप्लोमा	58	राज्य के तकनीकी बोर्ड से मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित संकाय में डिप्लोमा	रु. 8000/- प्रतिमाह
2	Electronics/ECE/ET&T/EIE इंजीनियरिंग में डिप्लोमा	01		
3	Civil इंजीनियरिंग में डिप्लोमा	02		
4	Computer Science	01		
5	Information Technology	01		
योग:-		63		

उपरोक्त शैक्षणिक योग्यता धारक उम्मीदवारों से (Apprenticeship) प्रशिक्षण हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं ।

नियम एवं शर्तें :-

- चयन प्रक्रिया :- प्राप्त आवेदन पत्रों में से उम्मीदवारों का चयन ग्रेजुएट अप्रेन्टिस हेतु स्नातक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तथा टेक्नीशियन अप्रेन्टिस हेतु डिप्लोमा में प्राप्त अंकों के आधार पर व्यवसायिक प्रमाण-पत्र में प्राप्त अंकों के मेरिट के आधार पर किया जावेगा ।
- उम्मीदवारों का (Apprenticeship) प्रशिक्षण मात्र एक (01) वर्ष की अवधि के लिए होगी । प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात उम्मीदवार छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में अस्थाई/स्थायी किसी भी प्रकार के रोजगार हेतु हकदार नहीं होंगे ।
- जिन उम्मीदवारों को कार्य का अनुभव एक वर्ष या अधिक है अथवा जो इस प्रकार का किसी अन्य संस्था में प्रशिक्षण कर चुके हैं/कर रहे हैं, वे उम्मीदवार चयन हेतु पात्र नहीं हैं ।
- चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण पर उपस्थित होने के समय, एक घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा पूर्व में कहीं भी अप्रेन्टिसशिप एक्ट, 1961 (as amended in 1973, 1986 & 2014) के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त नहीं की है । घोषणा-पत्र का प्रारूप Contract Registration Form में उपलब्ध है । शैक्षणिक योग्यता परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि और प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के मध्य की अवधि एक वर्ष से कम अथवा एक वर्ष से तीन वर्ष हो तो उम्मीदवारों को स्व-शपथ पत्र (Self Affidavit) प्रस्तुत करना होगा । तीन वर्ष से अधिक समय हो चुके उम्मीदवार प्रशिक्षण हेतु पात्र नहीं होंगे ।

कमरा...02..

5. प्रशिक्षुओं (Apprentices) को हॉस्टल अथवा वाहन सुविधा उपलब्ध नहीं होगी ।
6. अभ्यर्थियों को National Apprenticeship Training Scheme (NATS) में अपना Registration करवाना अनिवार्य है तथा आवेदन पत्र में Registration Number अनिवार्य रूप से अंकित किया जाना होगा ।
7. आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों की छायाप्रतियाँ संलग्न करना अनिवार्य होगा:-
 - a) 10वीं एवं 12वीं की अंक सूची की छायाप्रति ।
 - b) स्नातक/डिप्लोमा की अंक सूची/प्रमाण-पत्र की छायाप्रति ।
 - c) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को छ.ग.शासन के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई स्थाई जाति प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है ।
 - d) स्थाई निवास प्रमाण-पत्र की छायाप्रति ।
 - e) National Apprenticeship Training Scheme (NATS) का Registration Form in which Registration Number and other Details are filed ।
8. आवेदन करने की अंतिम तिथि – 30.10.2021। आवेदन पत्रों को दिनांक 30.10.2021 तक डाक द्वारा अथवा सीधे कार्यालय में (कार्यालयीन समय शाम 3.30 से 5.30 बजे तक) जमा कर सकते हैं । अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा ।
9. आवेदन-पत्र संलग्न प्रारूप में प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति सहित अंतिम तिथि तक निम्न पते पर प्रेषित/जमा करें :-

मुख्य अभियंता (प्रशिक्षण अनुसंधान एवं विज्ञान)
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड,
कोटा रोड गुढ़ियारी, रायपुर 492009(छत्तीसगढ़)
10. अन्य नियम एवं शर्तें अप्रेंटिसशिप एक्ट, 1961 (as amended in 1973, 1986 & 2014) तथा समय-समय पर जारी संशोधनों के अधीन होगी ।



ए.के. तिकी
मुख्य अभियंता (प्रशि.अनु.एवं वि.)
छ.स्टे.पा.डिस्ट्री.कं.लि., गुढ़ियारी, रायपुर